कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मुरैना (म.प्र.)

ए.बी. रोड, फारेस्ट कालोनी, मुरैना
फोन नं. 07532-234742, E-mail – dfotmorena@mp.gov.in

मुरैना, दिनांक/ 2-7-2021

क्रमांक/ मा.चि./21/ 3920

प्रति,

कलेक्टर,
जिला मुरैना।

विषय:- ग्वालियर एवं मुरैना जिले के अंतर्गत सिकरावली से धोवनी मार्ग के निर्माण मे प्रभावित वन भूमि रकवा 1.54 हे. के बदले में अन्य गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका आदेश क्र.03/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश पारित दिनांक 08/06/2021।

----00----

विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1 ग्वालियर द्वारा ग्वालियर एवं मुरैना जिले के अंतर्गत सिकरावली से धोवनी मार्ग के निर्माण मे वनमण्डल मुरैना की प्रभावित वन भूमि कक्ष क्र. पी-217 वन खण्ड धोबिनी बीट-कन्हार रकवा 1.54 है. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुमति बावत् प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव क्र. FP/MP/ROAD/45373/2020 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति व़क्षारोपण हेतु आपके आदेश क्र.03/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश पारित दिनांक 08/06/2021 से ग्राम चाँचुल तहसील जौरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 283 रकवा 6.113 है. में से रकवा 1.54 है. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई है। उपरोक्त भूमि पूर्व से ही नोईयत जंगलात के रूप में दर्ज है। अत: शासन आदेशानुसार नोईयत जंगलात के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दिये जाने का प्रावधान नही है। उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अन्य गैर वन भूमि जो कि वन सीमा से लगी हुई तथा उक्त भूमि अतिक्रमण रहित हो एवं वृक्षारोपण के उपयुक्त उपजाऊ मृदा वाला क्षेत्र हो। उक्त प्रकार की गैर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल मुरैना

पृ.क्र./ मा.चि./ 21/ 3921

मुरैना, दिनांक/ 2-7-2021

प्रतिलिपि,

1. कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग संभाग क्र.1 ग्वालियर की ओर भेज कर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (जौरा) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल मुरैना